सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 04, मंगलवार, *शाके* 1947- मार्च 25, 2025 *Chaitra 04, Tuesday, Saka 1947- March 25, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 20, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

संख्या F.1 (11) UDH/Bikaner/2025-12937-7130948 :-यह कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर को बीकानेर शहर में सांखला फाटक रेलवे क्रासिंग के समीप रेलवे अण्डरपास के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार निम्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3(जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक पं. 1(51)Rev-6/20143/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर होंगे।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार।

आज्ञा से,

राकेश कुमार-I,
शासन उप सचिव-III।

फार्म-2

(देखिए नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

क्रसं	परियोजना विकासकर्ता का नाम	बीकानेर विकास प्राधिकरण बीकानेर
1	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	बीकानेर शहर में सांखला फाटक रेलवे क्रासिंग के समीप रेलवे अण्डरपास
2	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उदेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयॉ भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
3	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा (1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
4	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिति के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
5	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शुन्य हो जायेगी।	हाँ
6	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी	भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित क्षेत्र में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।
5. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारीयों को, जिनका इससे संबंध है, को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
6. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उक्त धारा-4(1) के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के अधीन कार्यवाहीयों को पूरा हो जाने के समय तक विनिर्दिष्ट भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

सम्पर्क सूत्रः-
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
आर वी इन्फ्रा कंसल्टेंसी,
पताः- बी-08, दादू दयाल नगर विस्तार, इस्कॉन रोड़,
मानसरोवर, जयपुर-302020
कमलेश कुमार शर्मा
मोबाईल: 9799899347

आज्ञा से,

राकेश कुमार-I,
शासन उप सचिव-III।

राजस्थान के बीकानेर शहर में सांखला फाटक पर आर.यू.बी. के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से प्रभावित संरचनाओं एवं संपत्तियों का विवरण:

क्र. सं.	प्रभावित दुकान का नाम	किरायेदार/मालिक	प्रभावित व्यक्ति का नाम	प्रभावित व्यक्ति का पता	क्षेत्रफल (वर्गमी.)	विशेष विवरण
1	काली माई होटल	स्वयं मालिक	सूर्य कश्यप पुत्र रमेश कुमार मेहरा	बी-11, सुदर्शना नगर, बीकानेर	13.48	
2	शॉप	स्वयं मालिक	सूर्य कश्यप पुत्र रमेश कुमार मेहरा	बी-11, सुदर्शना नगर, बीकानेर	11.42	
3	गुड्डू डिस्पोजल एण्ड कैमिकल्स	स्वयं मालिक	शाजीद खान	बड़ा बाजार, बीकानेर नोटः उपर किरायेदार 1 व 2 नं. वाले हैं।	11.27	
4	विनीत प्रोविजनल स्टोर	स्वयं मालिक	टोमप्रकाश गहलोत पुत्र अनिल कुमार गहलोत	मटका गली, बीकानेर	10.74	
5	विनीत प्रोविजनल स्टोर	स्वयं मालिक	टोमप्रकाश गहलोत पुत्र अनिल कुमार गहलोत	मटका गली, बीकानेर	8.58	
6	भाटी प्रोविजन स्टोर	स्वयं मालिक	पिरूराम भाटी पुत्र दीपचन्द भाटी	पंचमुखी हनुमान जी, काली माई मन्दिर के पास, रानी बाजार, बीकानेर	12.16	
7	गेट	स्वयं मालिक	राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र मूलचन्द अग्रवाल	3369/2, क्रिश्चियन कॉलोनी, करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	3.91	

8	स्टेण्ड साईकिल पेन्टिंग	मो. हुसैन पुत्र शकिल अली नि.: सुथारों की बड़ी गुवाड़, बीकानेर	राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र मूलचन्द अग्रवाल	3369/2, क्रिश्चियन कॉलोनी, करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	7.36	
9	डेयरी	बलदेवदास पुत्र श्रीलाल दमाणी नि.: दमाणी चौक	राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र मूलचन्द अग्रवाल	3369/2, क्रिश्चियन कॉलोनी, करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	7.19	
10	डिस्पोजल शॉप	कमल कुमार पुत्र श्रीलाल दमाणी नि. दमाणी चौक	राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र मूलचन्द अग्रवाल	3369/2, क्रिश्चियन कॉलोनी, करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	13.89	
11	विशाल लिफाफा भण्डार	किशन कुमार, प्रदीप कुमार पुत्र सूरजमल गुवालानी नि.: धोबी तलाई, गली नं. 9, बीकानेर	राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र मूलचन्द अग्रवाल	3369/2, क्रिश्चियन कॉलोनी, करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	13.22	
12	अग्रवाल भवन	स्वयं मालिक	राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र मूलचन्द अग्रवाल	3369/2, क्रिश्चियन कॉलोनी, करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005	14.96	
13	खण्डाराम स्टोर	टेकचन्द पुत्र महेशचन्द नि.: 2-ई-5, पवनपुरी, बीकानेर	मनीष अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास	1539, दीनानाथ बिल्डिंग, पंजाबी मोहल्ला सब्जी मण्डी, घण्टाघर, दिल्ली-110007	5.58	
14	शॉप	बन्द	मनीष अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास	1539, दीनानाथ बिल्डिंग, पंजाबी मोहल्ला सब्जी	5.32	

				मण्डी, घण्टाघर, दिल्ली-110007		
15	शॉप	बन्द	मनीष अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास	1539, दीनानाथ बिल्डिंग, पंजाबी मोहल्ला सब्जी मण्डी, घण्टाघर, दिल्ली-110007	4.97	
16	शॉप	बन्द	मनीष अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास	1539, दीनानाथ बिल्डिंग, पंजाबी मोहल्ला सब्जी मण्डी, घण्टाघर, दिल्ली-110007	4.63	
17	शॉप	बन्द	मनीष अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास	1539, दीनानाथ बिल्डिंग, पंजाबी मोहल्ला सब्जी मण्डी, घण्टाघर, दिल्ली-110007	4.28	
18	बी.एल. अग्रवाल	महेश अग्रवाल	मनीष अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास	1539, दीनानाथ बिल्डिंग, पंजाबी मोहल्ला सब्जी मण्डी, घण्टाघर, दिल्ली-110007	3.93	
19	रतन रेड़ियो	महेश अग्रवाल	मनीष अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास	1539, दीनानाथ बिल्डिंग, पंजाबी मोहल्ला सब्जी मण्डी, घण्टाघर, दिल्ली-110007	3.59	
20	शॉप	मो. रफीक पुत्र मो. रमजान पिन्जारा नि.: मोहता सराय, बीकानेर	मनीष अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास	1539, दीनानाथ बिल्डिंग, पंजाबी मोहल्ला सब्जी मण्डी, घण्टाघर, दिल्ली-110007	4.91	

21	झंवर जी घी	गोपाल लाल झंवर पुत्र हरिकिशन झंवर नि.: कोयला गली, बीकानेर	उर्मिला आसोपा	स्वागत होटल, फोर्ट स्कूल के पास, स्टेशन रोड़, बीकानेर	18.82	
22	आसोपा होम्योपेथी	बन्द	उर्मिला आसोपा	स्वागत होटल, फोर्ट स्कूल के पास, स्टेशन रोड़, बीकानेर		
23	मकान	बन्द	उर्मिला आसोपा	स्वागत होटल, फोर्ट स्कूल के पास, स्टेशन रोड़, बीकानेर		
कुल अवाप्त क्षेत्रफल:-					184.21	

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।